

शिशु-संरक्षण माता-पिता के लिए पथ-प्रदर्शिका

शिशु-संरक्षण माता-पिता के लिए पथ-प्रदर्शिका

शिशु-संरक्षण करने वाले व्यक्ति का चुनाव करना, माता-पिता के लिए एक अहम फैसला है।

चाइल्ड एण्ड फैमिली सर्विसिज़ एक्ट (*The Child and Family Services Act*) के अनुसार, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति, माता-पिता का कानूनी उत्तरदायित्व है कि, उनके बच्चे हरदम सुरक्षित रहें। शिशुओं तथा छोटे बच्चों की देखभाल हर समय की जानी चाहिए। 8/9 वर्षीय बच्चों को भी लम्बे समय तक अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। माता-पिता से आशा की जाती है कि वे अपने बच्चों को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करेंगे। किसी भी हालात में अकेले होने पर बच्चों की परिपक्वता तथा विश्वस्तता के बारे में सोचेंगे।

10 वर्ष की आयु के पश्चात भी, कानूनी तौर पर, 16 वर्ष की आयु तक, बच्चे के संरक्षण के अच्छे प्रबन्ध करना माता-पिता की ज़िम्मेदारी है। इस आशा से, बच्चों की सुरक्षा तथा हित के विषय में ज़रूरी फैसला करने में माता-पिता को सहायता मिलेगी। माता-पिता सदा याद रखें कि हर बच्चा अपनी आयु के अनुसार परिपक्व और ज़िम्मेदार नहीं होता। कुछ 10 वर्षीय बच्चे, कुछ घण्टों के लिए अपना ध्यान रखने के काबिल होते हैं। उसी उम्र या अधिक उम्र के, कुछ अन्य बच्चे, नहीं। माता-पिता यह निश्चित करें कि बच्चा कब और कितनी देर के लिए अकेला छोड़े जाने के काबिल है।

जब माता/पिता यह निर्णय करते हैं कि बच्चे को देखरेख की आवश्यकता है, तो यह विचार-विमर्श करना आवश्यक है कि, कौन ज़िम्मेदारी से देखरेख कर सकता है। माता-पिता, प्रायः छोटे बच्चों की देखरेख के लिए बड़े बच्चों के बारे में सोचते हैं और, उनके बच्चे के लिए कौन सही रहेगा इसका चुनाव करने के विषय में उनके मन में सवाल होते हैं।

यह याद रखना आवश्यक है कि हर बच्चा अलग होता है। जिस तरह, कानून निश्चित रूप से यह आज्ञा नहीं देता, कि आपका बच्चा 10 वर्ष या अधिक का होने पर अकेले सुरक्षित छोड़ा जा सकता है, उसी तरह, बच्चा किस उम्र से शिशु-संरक्षण कर सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है। आपके घर से बाहर रहने के समय, आपके बच्चों की ज़रूरतों को पूरी करने के काबिल व्यक्ति का चुनाव करना आपकी ज़िम्मेदारी है।

माता-पिता अपने अनुमान से यह निर्णय करें कि कब से उनका बड़ा बच्चा, छोटे बच्चों के लिए विश्वसनीय देखभाल कर पाने योग्य है। आप प्रतिदिन अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरतों की देखभाल कौन कर सकता है, इसका फैसला सब से बेहतर आप ही कर सकते हैं।

शिशु-संरक्षक के चुनाव में कई बातों का ध्यान रखना होता है। उस व्यक्ति की परिपक्वता, कुशलता, विश्वसनीयता, पूर्व-इतिहास, तथा मुशिकलें हल करने की प्रवीणता, का ध्यान रखना आवश्यक है।



अपने आप से पूछिए

क्या बड़ा बच्चा अच्छी निर्णय-शक्ति का प्रदर्शन करता है तथा उसे स्वयं मुश्किलें हल करने का अनुभव है? क्या उसे मालूम है कि घर में आग लगने, बाढ़ आ जाने, या कोई हादसा हो जाने या छोटे बच्चे को चोट लग जाने पर क्या करना है?

क्या, बड़े बच्चे या व्यक्ति को कोई व्यवहारिक या मानसिक परेशानियाँ अथवा नशा या मदिरा की कोई परेशानी है, जो उसकी ज़िम्मेदारी निभाने की काबिलियत में बाधा बन सकती है?

क्या आपके बच्चे को कोई व्यवहारिक या मानसिक परेशानियाँ हैं, जिनसे, शिशु-संरक्षक के लिए उसको सँभालना मुश्किल हो? शिशु-संरक्षक के पास छोड़े जाने के बारे में आपका बच्चा कैसा महसूस करता है? क्या उसके परेशान अथवा भयभीत होने की सम्भावना है?

शिशु-संरक्षक की आवश्यकता कितने समय के लिए है? लम्बी अवधि का मतलब, शिशु-संरक्षक अधिक कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होगा, जिसके लिए उसे अधिक परिपक्व तथा ज्ञानी होना चाहिए।

जिस बच्चे की देखभाल की जानी है, उसकी उम्र कितनी है? एक 12 वर्षीय बच्चा किसी भी शिशु या छोटे बच्चे की देखभाल के लिए उपयुक्त नहीं होगा, परन्तु, 7 या 8 वर्षीय बच्चे के स्कूल से आने के बाद, उसकी देखभाल के लिए, 12 वर्षीय बच्चा ठीक हो सकता है।

आपका उत्तरदायित्व

शिशु-संरक्षक को, आपसे आपातकाल में सम्पर्क करने के नम्बर तथा गतिविधियों से अवगत करा दें। बच्चे की किसी अलर्जी अथवा चिकित्सा-सम्बन्धी, या शारीरिक अवस्था के बारे में भी सतर्क कर दें।

जब घर पर आपका बच्चा, शिशु-संरक्षक के रूप में किसी बड़े बच्चे के साथ हो तो, उसे आपसे सम्पर्क करने या आपके पास पहुँचने का सरल तरीका अवश्य मालूम होना चाहिए। आपातकाल में मदद करने के लिए, आप जल्दी से जल्दी प्राप्य हों या किसी अन्य ज़िम्मेदार व्यक्ति को वहाँ भेज सकें।

आपके घर और बच्चे के लिए अपने नियम, शिशु-संरक्षक को अवश्य बताएँ। जैसे कि, क्या आपके बच्चे के, और शिशु-संरक्षक के साथी घर पर आ सकते हैं, और आपके घर आनेवालों को या आपके लिए फोन करने वालों को क्या कहना है?

आपको ऐसे शिशु-संरक्षक तलाश करने चाहिए जिन्होंने शिशु-संरक्षण का कोर्स पूरा किया हो, जैसा कि, सेन्ट जोन एम्ब्यूलेन्स अथवा रेड क्रॉस द्वारा करवाया जाता है। यह कोर्स 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी उपलब्ध है।

स्कूल के समय के दौरान, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, बोर्ड आफ़ एजूकेशन की अनुमति के बिना, शिशु-संरक्षण के लिए नहीं रखा जा सकता है।